



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025—भाद्र 21, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2025

क्र. ई-114-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका		खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया हो.
क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री मनीष सिंह (1997), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.	(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.

4751

(1)	(2)	(3)	(4)
		(2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	
2	श्रीमती जी. व्ही. रश्मि (2005), पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत्.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	—
3	श्री अनुराग सक्सेना (2016), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.
4	श्री अभिलाष मिश्रा (2017), अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन.	—
5	श्रीमती अर्चना सोलंकी (2018), मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.	उपसचिव "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	—

(2) श्री संदीप केरकेट्टा, भाप्रसे (2018), उपसचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) उपरोक्तानुसार श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2025

क्र. ई-5-830-आयएस-लीव-5-एक.—श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे, (2007), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 18 से 22 अगस्त 2025 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 15, 16, 17 एवं 23, 24 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 16 से 24 अगस्त 2025 तक, नौ दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे (2007), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे (2016), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) श्री संकेत एस. भोंडवे, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2025

क्र. ई-1-109-2025-5-एक.—श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2025

क्र. ई-5-884-आयएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2025, 16 जुलाई 2025 एवं

30 जुलाई 2025 द्वारा श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल, भाप्रसे (2011), संचालक, बजट मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 30 जून 2025 से 8 अगस्त 2025 तक, चालीस दिवस का संतान पालन अवकाश (दिनांक 9, 10 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब, उनका दिनांक 30 जून 2025 से 1 अगस्त 2025 तक, तैतीस दिवस का संतान पालन अवकाश (दिनांक 2, 3 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2025

क्र. ई-5-612-आयएस-लीव-5-एक.—श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 12, 13, 14 एवं 18 अगस्त 2025 तक, चार दिवस का आकस्मिक अवकाश (दिनांक 15, 16, 17 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उक्त अवधि में से दिनांक 12 से 17 अगस्त 2025 तक, छः दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

क्र. ई-5-684-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, भाप्रसे, (1996) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का दिनांक 22 से 29 अगस्त 2025 तक, आठ दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 30, 31 अगस्त 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 22 से 31 अगस्त 2025 तक, दस दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अमित राठौर, भाप्रसे (1996) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमित राठौर, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) श्री अमित राठौर, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2025

क्र. ई-5-1183-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला दमोह का दिनांक 10 से 19 सितम्बर 2025 तक दस दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20, 21 सितम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 10 से 21 सितम्बर 2025 तक, बारह दिवस हेतु एक्स-इंडिया अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला दमोह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे (2016), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) श्री सुधीर कुमार कोचर, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2025

क्र. ई-1-119-2025-5-एक.—(1) श्री अरूण परमार, भाप्रसे (2012), अपर सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे (2013), उपसचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री अरूण परमार, भाप्रसे (2012) द्वारा कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष वशिष्ठ, भाप्रसे (2014), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) केवल कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) उपरोक्तानुसार श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे (2013) द्वारा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ऋषि गर्ग, भाप्रसे (2013), सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-5-685-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 22 सितम्बर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक, दस दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20, 21 सितम्बर तथा दिनांक 2 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक अवकाश को सम्मिलित करते हुए) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहुजा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-967-आयएस-लीव-5-एक.—श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013), कलेक्टर, जिला मण्डला का दिनांक 22 अगस्त से 4 सितम्बर 2025 तक, चौदह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013), कलेक्टर, जिला मण्डला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री श्रेयान्स कूमट, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रेयान्स कूमट, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(7) यदि श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

क्र. ई-5-967-आयएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 द्वारा श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013), कलेक्टर, जिला मण्डला का दिनांक 22 अगस्त से 4 सितम्बर 2025 तक, चौदह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उनका दिनांक 22 से 29 अगस्त 2025 तक आठ दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2025 की शेष कण्डिकाएं 02 से 07 तक यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-986-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला शाजापुर का दिनांक 1 से 10 सितम्बर 2025 तक दस दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला शाजापुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री तन्वी हुडडा, भाप्रसे (2014), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती तन्वी हुडडा, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

(7) यदि श्रीमती ऋजु बाफना, भाप्रसे स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा।

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025

क्र. ई-1-120-2025-5-एक.—(1) श्री सौरव कुमार सुमन, भाप्रसे (2011), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री सौरव कुमार सुमन, भाप्रसे (2011), द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती मीनाक्षी सिंह, भाप्रसे (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2025

क्र. ई-1-111-2025-5-एक.—श्री अरूण कुमार परमार, भाप्रसे (MP:2012), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016-1-87-Estt. (A) दिनांक 12 मार्च 1987 में निहित प्रावधान अनुसार “अरूण कुमार परमार (ARUN KUMAR PARMAR)” का नाम परिवर्तन कर अब “अरूण परमान (ARUN PARMAR)” दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तदनुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब उन्हें “अरूण परमार” नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्ड्रन, सचिव “कार्मिक”.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2025

क्र. ई. एफ 1-1-1-0227-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर. टी. आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 8 अगस्त 2025 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2-3 व 9-10 अगस्त 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर. टी. आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक, पी. टी. आर. आई., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, आर. टी. आई. एवं पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. एफ 1-1-1-0305-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला मन्दसौर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 17 फरवरी 2025 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में स्वयं के विवाह हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गृह नगर पटना (बिहार) जाने हेतु अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) यात्रा में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अवकाश यात्रा सुविधा अनुमति उपरांत एलटीसी बिल द्वारा भुगतान की कार्यवाही आहरण वितरण अधिकारी (डी. डी. ओ.) द्वारा की जाना है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. एफ 1-1-1-0223-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल को दिनांक 11 से 18 जुलाई 2025 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 जुलाई 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. 2568-इक्कीस-ब (एक) 2025

भोपाल, दिनांक 13 जून 2025

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर, मध्यप्रदेश.

विषय :— न्यायिक अधिकारियों की सूची जो वर्ष 2026 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के संबंध में जानकारी.

संदर्भ :—आपका पत्र क्रमांक सी-3604-चार-9-19-49 भाग-9 डी जबलपुर, दिनांक 9 मई 2025 के संबंध में.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2026 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलतः निम्नलिखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका-5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री महेन्द्र कुमार जैन	18-01-1966	17-01-2026	31-01-2026
2	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर)	20-01-1966	19-01-2026	31-01-2026
3	श्री राजीव के. पाल	24-01-1966	23-01-2026	31-01-2026
4	श्री सतीश चंद्र शर्मा (जूनियर)	31-01-1966	30-01-2026	31-01-2026
5	श्री दिनेश चंद्र थपलियाल	10-02-1966	09-02-2026	28-02-2026
6	श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा	15-02-1966	14-02-2026	28-02-2026
7	श्री राजकुमार वर्मा	01-04-1966	31-03-2026	31-03-2026
8	श्री प्रदीप सोनी (सीनियर)	01-04-1966	31-03-2026	31-03-2026
9	श्री गालिब रसूल	21-04-1966	20-04-2026	30-04-2026
10	श्री कपिल कुमार मेहता	25-04-1966	24-04-2026	30-04-2026
11	श्री काशी नाथ सिंह	05-05-1966	04-05-2026	31-05-2026
12	श्री राजीव कुमार अयाची	14-06-1966	13-06-2026	30-06-2026
13	श्री राकेश मोहन प्रधान	25-06-1966	24-06-2026	30-06-2026
14	श्री अमिताभ मिश्र	30-06-1966	29-06-2026	30-06-2026
15	श्री रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन	01-07-1966	30-06-2026	30-06-2026
16	श्री रामकुमार चौबे	01-07-1966	30-06-2026	30-06-2026
17	श्रीमती ऊषा तिवारी	24-07-1966	23-07-2026	31-07-2026
18	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	28-08-1966	27-08-2026	31-08-2026
19	श्री प्राणेश कुमार प्राण	15-09-1966	14-09-2026	30-09-2026
20	डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम	18-09-1966	17-09-2026	30-09-2026
21	श्री सतीश चन्द्र राय	01-10-1966	30-09-2026	30-09-2026
22	श्री संजीव कुमार अग्रवाल	05-10-1966	04-10-2026	31-10-2026
23	श्री कालूसिंह बारिया	08-10-1966	07-10-2026	31-10-2026
24	श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर	18-10-1966	17-10-2026	31-10-2026
25	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर	24-11-1966	23-11-2026	30-11-2026
26	श्री कमल जोशी	27-11-1966	26-11-2026	30-11-2026
27	श्री गंगा चरण शर्मा	01-12-1966	30-11-2026	30-11-2026
28	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	04-12-1966	03-12-2026	31-12-2026
29	श्री जयदीप सिंह	06-12-1966	05-12-2026	31-12-2026

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2025

फा. क्र. 2926-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 2092-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर/ नई दिल्ली में नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में एक माह की अभिवृद्धि करता है।

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2025

फा. क्र. 3052-इक्कीस-ब (दो)-2025.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4403-इक्कीस-ब(दो)2020, दिनांक 12 नवम्बर 2020 द्वारा श्री सुशील कुमार शर्मा, न्यायिक सदस्य द्वारा प्रेषित त्यागपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025 से स्वीकृत कर, उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025

पंजी क्र. 2816-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील जावद, जिला नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 27 जुलाई 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अमृतलाल चौधरी का निधन होने के

कारण एवं विभागीय आदेश दिनांक 17 जून 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा नोटरी लायसेंस नवीनीकरण नहीं कराने हेतु प्रेषित आवेदन के आधार पर उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2025

पंजी क्र. 2951-2025-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील आलोट, जिला रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 1988 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गोविन्द गोयल का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 2952-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 7 जुलाई 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री रूद्रप्रसाद अहिवासी द्वारा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण नोटरी कार्य नहीं करने संबंधी आवेदन एवं विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विजय कुमार जैन द्वारा वर्तमान में अहमबाद में निवासरत होने के कारण नोटरी कार्य नहीं करने संबंधी आवेदन के आधार पर उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2025

क्र. एफ. 53-1-रा. स.-यू. ए.-5-2016.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ग) एवं (घ) के अंतर्गत नानानी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

(क) धारा 22 (2) (क)-पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखते वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले एक वैज्ञानिक / शिक्षाविद,—

डॉ. प्रवीण शिंदे,
अतिरिक्त उप निदेशक,
मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
भोपाल (म. प्र.).
मो.-9406980907

(ग) धारा 22 (2) (ग)-पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि,—

डॉ. संतोष कुमार पाण्डे,
पूर्व डीन,
के. ए.-9, शिल्पी ग्रीन्स, बदरौव,
रीवा (म. प्र.).
मो.-9425124261

(घ) धारा 22 (2) (घ)-एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता,—

डॉ. चित्रा प्रभात,

आचार्य, शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

वर्तमान में प्राचार्य,

शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय,

कटनी (म. प्र.).

मो.-9407001512

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

प्रारूप-बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र.-भू-सर्वेक्षण-2024-1039.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नीमच	जावद	मूल ग्राम-बावलनई मजरा ग्राम-1.लालपुरा 2. चौकानखेडा	0007 0007	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर).

FORM-XII

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020

Commencement of Land Survey

No. 1039-Land Survey-2004.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :—

SCHEDULE

S. No.	District	Tahsil	Village/Town	Patwari Halka No. / Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Neemuch	Jawad	Mool Village-Bawainal Majara Tola-1, Lalpura 2. Choukankheda	0007 0007	Village Total area (except Abadi).

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

क्र.-1418-म.प्र.भू.अ.प्र.स.-2025.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021 में जिला झाबुआ के सन्दर्भ में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 181-2021-CLR- भू-सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है।

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्र. एफ-3-26-2021-तेरह-04.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री गजेन्द्र तिवारी, विद्युत् लोकपाल, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है।

2. उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 (यथासंशोधित) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज मण्डलोई, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्र. एफ-8-0010-2025-सात-शा. 7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक F. No. 11-32-2025-M&G, दिनांक 12 अगस्त 2025 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा, शाजापुर जिले के ग्राम “सुंदरसी” का नाम परिवर्तित कर “सुंदरगढ़” करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्र. एफ-8-0010-2025-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-0010-2025-सात-शा. 7, दिनांक 9 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

Bhopal, the 9th September 2025

No.F.-8-0010-2025-VII-Sec-7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. F. No. 11-32-2025-M&G, dated 12th August, 2025, the State Government here by change the name of village of “SUNDARSI” District **Shajapur** as “SUNDARGARH” with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2025

क्र. ई-एफ-2025-26-सात- 4.—राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 3 जून 2025 के अनुक्रम में अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के संवर्गों का क्रमशः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के संवर्ग में समायोजन किया जाता है. समायोजन उपरांत संवर्ग की स्थिति निम्नानुसार होगी :—

1. अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन.—

- 1.1 प्रदेश में अधीक्षक, भू-अभिलेख के 144 पद एवं तहसीलदार के 610 पद स्वीकृत हैं. दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं. समायोजन उपरांत तहसीलदार के कुल पद 754 हो जावेंगे.
- 1.2 अधीक्षक, भू-अभिलेख (नवीन पदनाम तहसीलदार) से उप जिलाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में वरिष्ठता के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया का पालन तब तक किया जाता रहेगा जबकि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति / सेवानिवृत्ति / अन्य कारण से रिक्त नहीं हो जाता.
- 1.3 अधीक्षक, भू-अभिलेख (तहसीलदार) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी.
- 1.4 यह संवर्ग तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग यथा अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख पदोन्नत / सेवानिवृत्त होकर रिक्त नहीं हो जाता.
- 1.5 समायोजन उपरांत अधीक्षक, भू-अभिलेख संवर्ग के अस्तित्व में रहने तक अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं तहसीलदार संवर्ग की पृथक्-पृथक् पदक्रम सूची पूर्व की भांति जारी की जावेगी.

2. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं नायब तहसीलदार संवर्ग में पदों का समायोजन.—

- 2.1 प्रदेश में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के 282 पद एवं नायब तहसीलदार के 1242 पद स्वीकृत हैं. दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अंतर्गत समान वेतनमान के पद हैं. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख संवर्ग का नायब तहसीलदार संवर्ग में समायोजन किया जाता है. समायोजन होने से नायब तहसीलदार संवर्ग के अब कुल 1524 पद स्वीकृत होंगे.
- 2.2 अधीक्षक, भू-अभिलेख (तहसीलदार) संवर्ग के पदों पर केवल नायब तहसीलदारों के रूप में पदस्थ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख की ही पदोन्नति की जावेगी जब तक कि यह संपूर्ण संवर्ग पदोन्नति / सेवानिवृत्त / होकर रिक्त नहीं हो जाता.
- 2.3 सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख संवर्ग के सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर अब कोई नवीन भर्ती आयोजित नहीं होगी. सीधी भर्ती के रिक्त पद जैसे-जैसे रिक्त होंगे इन पदों को नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों में जोड़ा जाकर नवीन भर्ती नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी.
- 2.4 सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों पर राजस्व निरीक्षक से पदोन्नति की कार्यवाही पूर्व की भांति नायब तहसीलदार एवं (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) दोनों पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रतिशत अनुसार नायब तहसीलदार के रूप में तब तक की जाती रहेगी जब तक वर्तमान में पदस्थ सभी राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति नहीं हो जाती. भविष्य में नवीन भर्ती राजस्व निरीक्षक पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार हेतु प्रचलित कनिष्ठ प्रशासनिक भर्ती नियम, 2011 अनुसार की जावेगी.
- 2.5 नवीन राजस्व निरीक्षकों की पदक्रम सूची से जब भी पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी, यह नायब तहसीलदार के रूप में नायब तहसीलदार हेतु स्वीकृत भर्ती नियम के अनुक्रम में की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2025

सूचना

क्रमांक-यूडीएच-3/0179/2025/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1126/टीसी/06/सागर/उपां /नग्रानि/2025 भोपाल दिनांक 20/03/2025 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक-1315/ टीसी/ 06/ सागर/उपां/ नग्रानि/2024-2025 दिनांक 28/03/2025 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार सागर विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1	ग्राम सागर खास तहसील सागर नगर जिला सागर	514/1 एवं 514/2	14.614	14.484	वाणिज्यिक एवं मार्ग	75 प्रतिशत आवासीय एवं मार्ग से लगकर 25 प्रतिशत वाणिज्यिक, मार्ग (वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर, 12.0 मीटर, एस0आर0-02 18 मीटर)
	कुल रकबा		14.614	14.484		

शर्त :-

1. आवेदित भूमि खसरा क्रमांक-514/2 रकबा 8.094 हेक्टेयर में से 0.13 हेक्टेयर भूमि पर वर्तमान में मंदिर निर्मित है अतः 0.13 हेक्टेयर भूमि उपांतरण में सम्मिलित नहीं की गई है ।
2. प्रश्नाधीन भूमि के समीप स्थित एस0आर0-2 मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 18.00 मीटर स्थल पर उपलब्ध है । सागर विकास योजना, 2035 के अनुसार लाल स्कूल से डी0आई0जी0 बंगला तिगडडा तक (ज्योति भवन तिराहा) मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा ।
3. स्थल के पश्चिम में गोपालगंज थाना के पश्चात लाल स्कूल से वेयर हाउस एवं स्नेह नगर कालोनी की ओर जाने वाले मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 8.50 मीटर स्थल पर उपलब्ध है । नियोजन की दृष्टि से इस मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर सागर विकास योजना, 2035 में निर्दिष्ट है अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 6.00-6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा ।
4. सागर विकास योजना, 2035 की कंडिका 4.12 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना अनुसार सारणी-4-सा-3 के सरल क्रमांक 02 के अनुसार स्थित भूमि का भूमि उपयोग वाणिज्यिक हो जावेगा ।
5. वाणिज्यिक एवं आवासीय गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2035 के प्रावधानुसार लागू होंगे ।
6. प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण दिशा में शासकीय नाला गुजरता है। अतः नाले के किनारे से म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख) के अनुसार 9.00 मीटर भूमि खुली छोड़ना अवश्यक होगा ।
7. स्थल पर निर्मित मंदिर परिसर को यथावत रखा जावेगा ।
8. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
9. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा ।

शुद्धि पत्र

क्रमांक-यूडीएच-3/0037/2025/18-5:- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक-यूडीएच -3/0037/2025 /18-5, दिनांक-06/05/2025 द्वारा इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण संबंधी सूचना जारी की गई थी जो कि मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के भाग -1 में दिनांक 09 मई 2025 को प्रकाशित हुई है।

उक्त सूचना के फुटनोट- **"भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण, उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले-आउट प्लान के अनुमोदन के समय शहरी निर्धारित ग्रामीण स्थानीय निकाय को यहां/दर पर मिश्रित भूमि उपयोग प्रीमियम का भुगतान करने एवं निम्नलिखित विकास नियंत्रण नियमों के पालन करने की शर्त पर लागू होगा"** जो त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त सूचना के फुटनोट के स्थान पर त्रुटि सुधार करते हुये **"भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण, उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले-आउट के अनुमोदन के समय मिश्रित भूमि उपयोग के लिए निर्धारित दर पर प्रीमियम का भुगतान संबंधित स्थानीय निकाय को करने पर निम्न शर्तों के साथ लागू होगा"** पढ़ा जावे। शेष यथावत रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 अगस्त 2025

भू-अर्जन प्र. क्र. 0020-अ-82-24-25-नस्ती क्र. 07-एलए-2025-5293-13360.— भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—खण्डवा
- (ग) ग्राम—सेमल्या
- (घ) अर्जित रकबा—6.17 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

160/1/1 3.47

160/2/1 0.50

169/1 0.56

170/1 1.64

योग . . . 6.17

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2025

क्र. 7727-भू-अर्जन-2025-प्र. क्र.-12-अ-82-अविअ-2025-26.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के अन्तर्गत जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम झिरपानी तहसील बेगमगंज के कृषकों की निजी भूमियों का भू-अर्जन हेतु “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” के धारा 19 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2024 में प्रकाशन किया गया है. अर्जित भूमियों के संबंध में भू-स्वामियों द्वारा दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है.

अतः, जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम झिरपानी, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास (6 माह) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 12 अगस्त 2024

पत्र क्र.-10 अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	केवलारी	0.1385	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.	नोहटा से दमानिया नाला तक पहुँचमार्ग निर्माण बाबत.

(2) भूमि का नक्शा/(प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र.-04 अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	पटी घांघरी	0.059	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.	नोहटा से दमानिया नाला तक पहुँचमार्ग निर्माण बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा/(प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-06 अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	नोहटा	0.323	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह.	नोहटा से दमानिया नाला तक पहुँचमार्ग निर्माण बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा/(प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नर्मदापुरम, दिनांक 20 अगस्त 2025

प्रकरण क्रमांक 03/अ-19/11 वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्राप्तमानित समय माना 60 दिनों की संप्रदायिक में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाता है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

:-अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्ला वगैरह नाम एवं नंबर

(ङ) मिजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

:- नर्मदापुरम

:- पिपरिया

:- घोघरी

:- सींगानागा, 52

:- 31.740 हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वतंत्र
1	2	3	4	5	6
1	अजीतसिंह पिता जयसिंह भूमिस्वामी	41/1	1 724	1 724	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	जयसिंह सुस्मी उर्फ डिल्ली पिता रबुआ भूमिस्वामी	8/2	0 106	0 106	
3	दुर्गाप्रसाद पिता गुरुचरनसिंह भूमिस्वामी	38/2	1 422	1 422	
4	नरेंद्रप्रसाद नांवां चैनसिंह पातक नानी मैत्रीबाई भूमिस्वामी	3	0 845	0 845	
5	बलराम पिता लालू कलाराम पिता लालू भूमिस्वामी	7	0 486	0 486	
6	रामप्रसाद पिता धूरिया भूमिस्वामी	40/2	0 081	0 081	
7	विजयसिंह पुत्र सुपाल भूमिस्वामी	14	0 401	0 401	
8	विराज पिता रामप्रसाद भूमिस्वामी	15	0 263	0 263	
9	गनेशा पिता नन्हेसिंह भूमिस्वामी	16	0 267	0 267	
10	कालूराकरिया पिता साभरोद भूमिस्वामी	22	0 336	0 336	
11	खुमरू पिता शिवराम भूमिस्वामी	34/2	1 765	1 765	
12	पंमसिंह पिता साभरोद तेरासिंह पिता साभरोद भूमिस्वामी	5	0 611	0 611	
13	नरेंद्र पुत्री नन्हे पुनिया पुत्री नन्हे भूमिस्वामी	4	0 101	0 101	
		5	0 344	0 344	
		41/2/3	1 862	1 862	
		41/2/4	1 902	1 902	
		41/7	2 023	2 023	
		41/2/1	2 023	2 023	
		41/2/5	4 695	4 695	
		41/11	3 844	3 844	
		17	0 105	0 070	
		20	0 081	0 054	
		21	0 324	0 216	
		35	5 111	3 407	
		36	4 338	2 892	
	Total	25	35.060	31.740	

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

नर्मदापुरम्, दिनांक 24 अगस्त 2025

प्रकरण क्रमांक 0001/अ-19(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समाप्तावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कार्यवाही धारा 15 में वर्णित भूमि की अनुसूची की कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यक है। इस प्रकरण में भूमि का अर्जन को विन्यासित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की रकम भी आवश्यकता नहीं है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित लाभ प्रदायक के लिये अपेक्षित है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

नर्मदापुरम्

पिपरिया

खामखेड़ी

पगारा.53

16.253 है।

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	माधव पिता सुखराम सुविवावाई पुत्री सुखराम भागवती पुत्री सुखराम गिरजा पुत्री सुखराम 701 पुत्री सुखराम, सूरज पुत्र सुखराम गिरजा पुत्री सुखराम	1/12	1.870		प्राप्त करने हेतु
2	इन्दार पिता सिंगल मंगल पिता इन्दार (व्याप) पिता बुद्धू भूरा पिता बुद्धू अमिलार पिता विश्राम	1/2	1.084	1.084	1927 ननयन
3	देवली पिता टेरका हल्कीवाड़े पुत्री टेरका	1/17	0.275	0.275	प्राप्त करने हेतु
4	पुत्री पुत्री फुद् हल्की पुत्री फुद्	1/13	0.202	0.202	
5	अमिलार पिता विश्राम, दुन्दर पिता विश्राम	1/24	0.607	0.607	
6	मनन पिता हिरदे, नगीहर पिता हिरदे हल्की पुत्री हिरदे	1/14	0.537	0.537	
7	मनन पिता हरीराम, मदन पिता हरीराम योगी पिता हरीराम, बैनू पिता हरीराम उमराव पिता मनन परदेशी पिता ऊया धरम पिता ऊया	1/7	0.486	0.453	
8	अमिलार पिता अमिलार	1/12	0.324	0.324	
9	अमिलार पिता धीरजसिंह	1/9	0.129	0.043	
		1/10	0.129	0.043	
		1/11	1.821	0.407	
10	मनन पिता धन्नु	1/15	1.036	1.036	
		1/16	1.617	1.617	
		1/17	0.809	0.809	
		1/20	1.214	1.214	
		1/21	0.201	0.201	
		1/22	0.809	0.809	
		1/23	0.809	0.809	
11	मनन पिता धन्नु	1/25	1.619	1.619	
		1/5	2.306	2.306	
	Total	20	17.888	16.253	

उक्त सवध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में सहायक प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्रकरण क्रमांक 0006/31-19(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत दावा/आपत्तियों का निराकरण मौका पर जाकर किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में वर्तमान में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया, उक्त ग्राम के परिवार पूर्व से विस्थापित हो चुके हैं इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	नर्मदापुरम
(ख) तहसील	पिपरिया
(ग) ग्राम	मोगरा
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	मोगरा-48
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	62.698 हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	इश्वरदास पिता रामसिंह, भगवानदास पिता रामसिंह, शंकर पिता रामसिंह, कला पुत्री रामसिंह, ललता पुत्री रामसिंह, सुगरवती बेवा रामसिंह, रवि पिता रामसिंह भूमिस्वामी	93/2	0.607	0.607	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	कलिया पु. बाबूलाल	46	0.166	0.166	
3	ताराबाई पु. सुबुआ भूमिस्वामी	75	0.186	0.186	
		76	0.154	0.154	
4	नर्मदा/परमसुख, रामप्रसाद/परमसुख भूमिस्वामी	54	0.393	0.262	
		71/3	0.729	0.486	
5	बतेशीया वि घाघनसिंह भूमिस्वामी	57	0.150	0.150	
		30	0.069	0.069	
		97	1.315	1.315	
6	जुगल पिता बिहारी भूमिस्वामी	41/4	0.023	0.011	
		43	0.121	0.060	
		44	0.070	0.035	
		51/2	0.405	0.202	
		52	0.401	0.200	
7	केदार पिता बिहारी, सेका पिता बिहारी भूमिस्वामी	51/1	1.509	1.006	
8	भूरा पिता गरीबा, अमान पिता गरीबा, तुला पिता गरीबा भूमिस्वामी	66	0.101	0.101	

9	विश्वपिता उदल, सुखिया देवा उदल, रामप्यारी पत्नी उमाशंकर भूमिस्वामी	5	1.246	0.778
10	रामसिंह/किशोरसिंह मवासी भूमिस्वामी	71/4	0.401	0.401
11	रजनी वल्ट प्रहलाद भूमिस्वामी	36	0.255	0.063
12	आशादीन पिता भीतरा भूमिस्वामी	94/2/1	2.776	2.776
13	कुब्जा पुत्री नन्हू भूमिस्वामी	16	0.825	0.825
		33	1.801	1.801
		56	0.154	0.154
		74	0.162	0.162
14	गरोदा जोजे बारेलाल भूमिस्वामी	21/2	0.223	0.056
		49	1.821	0.455
		63, 64	0.344	0.086
15	गुलाब पिता पन्ना. उमराव पिता पन्ना, सुखराम/धीरा भूमिस्वामी	47	0.251	0.150
		96	8.131	4.878
		109/2, 110, 111, 112, 113, 114	8.916	5.349
16	गोरा पुत्री विरजा भूमिस्वामी	6/6	0.242	0.121
		9	1.262	0.631
		34	1.700	0.850
		69	0.210	0.105
17	घिनिया पुत्री छुटुआ भूमिस्वामी	6/2	0.364	0.364
		37	3.730	3.730
18	मनीषकुमार पिता प्रेमनारायण, नृपेंद्रसिंह पिता प्रेमनारायण, अनीता देवा प्रेमनारायण भूमिस्वामी	55	1.724	1.724
		109/1/3	4.627	4.627
19	राजस्थान फॉरेस्ट्री प्र.लि. गनगोरी बाजार जयपुर भूमिस्वामी	21/7	0.162	0.162
		23	2.031	2.031
		25	2.497	2.497
		31	0.279	0.279
		38/2	0.809	0.809
		40	1.453	1.453
		41/2	0.032	0.032
		42	0.259	0.259
		53	0.299	0.299
		59	0.146	0.146
		72/2, 72/3, 77/1, 77/2, 81/1	2.242	2.242
20	राधेश्याम पिता भीमराज, नारायणदास पिता भीमराज, बाबुलाल पिता भीमराज, नर्मदाशंकर पिता भीमराज भूमिस्वामी	73	0.482	0.482
		86	0.089	0.089
		88	1.068	1.068
		90	0.530	0.530
		92	0.587	0.587
		94/1	0.672	0.672
21	रामासेह पिता महेंद्रसिंह, भूरेसिंह पिता महेंद्रसिंह, फूलसिंह पिता महेंद्रसिंह भूमिस्वामी	6/4	0.502	0.502
		48	0.182	0.182
		50, 102/3, 102/4	2.771	2.771
		65	0.073	0.073
22	रामेश्वर प्रसाद/ बाबूलाल भूमिस्वामी	17/1, 18	5.066	5.066
23	संजय/उमाशंकर भूमिस्वामी	20	1.267	1.267
		22	4.104	4.104
कुल योग		62	75.166	62.698

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी विपरिया में सधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

नर्मदापुरम्, दिनांक 30 अगस्त 2025

प्रकरण क्रमांक 02/अ-19(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

:-अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	:- नर्मदापुरम्
(ख) तहसील	:- पिपरिया
(ग) ग्राम	:- मुआर
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	:- साँगा नामा 52
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 11.790 हे०

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	बुधिया पत्नी भोपत	32 37/4 39	0.121 0.729 0.910	0.121 0.729 0.910	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	बुद्धू पिता लकड़ नर्मदीबाई पत्नी लकड़	37/3	1.943	0.777	
3	बुद्धू पिता लकड़ नर्मदीबाई पत्नी लकड़ रामप्रसाद पिता अम्मू	15	0.413	0.247	
4	लकड़ पिता मचलू हल्के पिता मचलू	21 33	0.101 0.283	0.054 0.152	
5	हल्केबीर पिता मचलू बुद्धू पिता लकड़ नर्मदी पिता लकड़ बुधिया पत्नी भोपत	9/2 20/1	1.214 0.142	0.890 0.104	
6	मंगलसिंह पिता रतनसिंह	29 31 34 37/5 38 43/6	0.344 0.462 1.210 0.914 1.404 1.376	0.344 0.462 1.210 0.914 1.404 1.376	
7	रामप्रसाद पिता धूरिया	37/2 41	1.651 0.445	1.651 0.445	
	total	17	13.662	11.790	

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्रकरण क्रमांक 0004/अ-19(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

--अनुसूची--

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	नर्मदापुरम
(ख) तहसील	पिपरिया
(ग) ग्राम	जामुनढोंगा
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	सींगानामा, 52
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	29.158६

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	कल्याण पिता पूरन सिंह भूमिस्वामी	57/15	1.214	1.214	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	छोटीबाई पुत्री मतन सिंह भूमिस्वामी	92	0.308	0.102	
		93/4	0.886	0.295	
3	जिज्जोबाई पत्नि बालेलाल हरिराम पिता बलमी हल्के पिता बलमी खेतसिंह पिता बलमी भूमिस्वामी	21	1.032	1.032	
		33	0.117	0.117	
4	झिरीसा पिता हरिसिंह भूमिस्वामी	10	1.979	1.979	
5	परवत सिंह पिता संग्राम सिंह परमार सिंह पिता संग्राम सिंह भूमिस्वामी	80	0.324	0.324	
		81	0.061	0.061	
6	प्रहलाद सिंह पिता मंगल सिंह	57/14	0.809	0.809	
7	भागवती पुत्री रामलाल भूरी पुत्री रामलाल बनोना पुत्री रामलाल गुडडी पुत्री रामलाल भूमिस्वामी	44	0.158	0.105	
		67/2	0.405	0.270	
		67/5	0.405	0.270	
8	फागू पिता बसोडी भूमिस्वामी	57/12	0.729	0.729	
9	मोहन सिंह पिता शिवपाल सिंह जालम सिंह पिता शिवपाल सिंह जसवंत सिंह पिता शिवपाल सिंह विजय सिंह पिता शिवपाल सिंह ओमप्रकाश पिता मलखान सिंह भूमिस्वामी	47	0.417	0.417	
10		20/9	1.214	1.214	

	रतनसिंह पिता गरीबा द्रोपती पत्नी गरीबा बुद्धसिंह पिता गरीबा कन्हैया पिता गरीबा भूमिस्वामी	41	0.283	0.283
11	मुन्नीबाई पुत्री चंदनसिंह भूमिस्वामी	67/3	0.405	0.101
12	लीलाबाई पुत्री प्रताप प्रीतम पिता प्रताप फुलिया पुत्री प्रताप हिरिया पुत्री प्रताप भूमिस्वामी	57/9/2	1.214	0.971
13	विजय पिता कोमल सिंह शंकरसिंह पिता कोमलसिंह रेवाबाई पत्नी कोमलसिंह भूमिस्वामी	28 29	0.057 0.085	0.057 0.085
14	विसन पिता मंगलसिंह भूमिस्वामी	57/13	0.405	0.405
15	सरदार पिता रामसिंह जानसिंह पिता रामसिंह सुक्का पिता रामसिंह शंकर पिता रामसिंह उज्जैन पुत्र रामसिंह सकिया पुत्री रामसिंह गुड्डो पुत्री रामसिंह हरीबाई पत्नी रामचंदनसिंह पिता रमसासिंह भूमिस्वामी	3 34 36 39	1.149 0.134 0.174 0.263	1.149 0.134 0.174 0.263
16	मुन्नीबाई पुत्री चंदन भूमिस्वामी	4/4 12	0.251 1.100	0.050 0.220
17	हाकमसिंह पिता बुद्धसिंह भूमिस्वामी	57/4	1.133	1.133
18	अमीरसिंह पिता बाबूलाल भूमिस्वामी	6 35 42 77 84 88	1.060 0.336 0.097 1.019 1.793 0.664	0.353 0.112 0.032 0.339 0.598 0.221
19	कन्हैया पिता केवलसिंह परसराम पिता केवलसिंह आलम पिता केवलसिंह रामसिंह पिता केवलसिंह भूमिस्वामी	52 55 59 76	0.219 1.842 1.149 0.045	0.175 1.473 0.919 0.036
20	कल्याणसिंह पिता नारायणसिंह, कमरानसिंह पिता नारायणसिंह भूमिस्वामी	20/7 30 53 57/7 57/8 63 106 110	0.729 0.101 0.251 1.619 0.971 4.233 0.482 7.437	0.291 0.040 0.100 0.647 0.388 1.693 0.192 2.974
21	मंगल पिता लक्ष्मन भूमिस्वामी	14 25/4 27 32 57/5 61	0.684 0.040 0.053 0.186 1.214 1.424	0.342 0.020 0.026 0.093 0.607 1.424
22	हरीराम पिता सम्मर, लछीराम पिता सम्मर, बिल्लू पिता सम्मर, रामसिंह पिता सम्मर, छोटे पिता सम्मर, ताराबाई पत्नी सम्मर, समलो पुत्री सम्मर, सोमनी पुत्री सम्मर, बल्लो पुत्री सम्मर, मम्मी पुत्री सम्मर भूमिस्वामी	64/1	2.100	2.100
total		59	46.459	29.158

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्रकरण क्रमांक 05/अ-19(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	नर्मदापुरम
(ख) तहसील	पिपरिया
(ग) ग्राम	कांजीघाट
(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	पगारा.53
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	2.043 हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	कमलाबाई पुत्री फागू, प्यारे पिता दुर्गा भूमिस्वामी	8	0.049	0.022	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	कुंजीलाल पिता घसीश भूमिस्वामी	7/1.	0.109	0.054	
3	हिरिया पुत्री फूलसिंह, बसंती पुत्री फूलसिंह भूमिस्वामी	26/4.	0.405	0.202	
4	जानसिंह पिता टेरका, हल्कीबाई पत्नी टेरका भूमिस्वामी	12	0.113	0.075	
5	जानसिंह पिता टेरका, हल्कीबाई पत्नी टेरका भूमिस्वामी	4/2.	0.162	0.081	
6	मेतु पिता छोटेलाल, केराबाई पत्नी शिवलाल, बंदी पिता शिवलाल, रेखा पुत्री शिवलाल, छुट्टन पिता चुन्नी भूमिस्वामी	3/2.	0.429	0.245	
7	रबुआ पिता सुमेरा भूमिस्वामी	4/1.	0.388	0.221	
8	वीरन पिता भगोना भूमिस्वामी	5	0.259	0.215	
9	सेवजी पिता पतीलाल, सेवकरन पिता पतीलाल, सूरजसिंह पिता बाबूलाल, सुमेरा पिता बाबूलाल भूमिस्वामी	17/1.	0.121	0.121	
		2/4	0.405	0.405	
		2/2	0.049	0.049	
		9	0.045	0.045	
		22/1.	0.069	0.069	
		23	0.239	0.239	
	कुल	14	2.842	2.043	

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

आधिसूचना

प्रकरण क्रमांक 09/अ-10(4) वर्ष 2024-25 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-14 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

अनुसूची:-**भूमि का वर्णन**

क. जिला	नर्मदापुरम
ख. तहसील	पिपरिया
ग. ग्राम	काजरी
घ. पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर	पगारा.53
ङ. निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	0.692 हे.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	भगनबाई पत्नी रामभाऊ, अकबर पिता रामभाऊ, रतन पिता जतन, विसरिया पुत्री रामभाऊ, सुखवती पुत्री रामभाऊ, मुन्नी पुत्री रामभाऊ भूमिस्वामी	1/5	0.324	0.243	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	सम्मरसिंह पिता बृजलाल, सम्मरसिंह पिता अमरसिंह, हिरिया पत्नी अमरसिंह भूमिस्वामी	1/4	0.263	0.197	
3	सियावती पुत्री अंतरसिंह भूमिस्वामी, बाबूलाल सुकबरिया पिता बालन, मुन्नी ना०बा०	1/2	0.215	0.096	
	बालन पालक इमरतीबाई, इमरतीबाई पत्नी बालन, मुकुंरनी ना०बा० पुत्री मौजीलाल भूमिस्वामी	1/3	0.405	0.156	
योग		4	1.207	0.692	

उक्त सबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संघारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

प्रकरण क्रमांक 0010/अ-19(4) वर्ष 2025-26 में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदशिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समाप्ति के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदशिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत स्टार्ट के अंतर्गत प्रस्तुत दावा/आपत्तियों का निराकरण किया गया तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में वर्तमान में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया, उक्त ग्राम के परिवार पूर्व से विस्थापित हो चुके हैं इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्वीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदशिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (3) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

अनुसूची:-

भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

नर्मदापुरम

पिपरिया

बदकछार

पगारा, 53

17.954 हे.

क	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	अर्जन का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1	अमरजीतसिंह पिता तेजसिंह, जगदीशसिंह ना० बा० पिता अमरजीतसिंह, भूपेंद्र पिता तेजसिंह, रजीत ना० बा० पिता भूपेंद्रसिंह भूमिस्वामी	43	0.696	0.696	भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु
2	दुर्गा पुत्री सुरवनसिंह, सुंदरसिंह पिता सुरवनसिंह, जयपाल पिता सुरवनसिंह, जवरसिंह पिता सुरवनसिंह, सरवनसिंह पिता केशरसिंह, रामबाई पुत्री केशर सिंह भूमिस्वामी	55/4 21/1	0.567 0.040	0.567 0.033	
3	जयपाल पिता गोकल, सुंदर पिता गोकल, सिमरत पिता गोकल भूमिस्वामी	55/3	0.223	0.223	
4	पूरनसिंह पिता मानसिंह भूमिस्वामी	55/2/8	0.587	0.587	
5	देवीसिंह पिता शिवलाल भूमिस्वामी	55/2/7 55/2/6	1.060 1.060	0.530 0.530	
6	बाबूलाल पिता सुखलाल भूमिस्वामी	55/2/2	0.874	0.874	
7	मोहनलाल पिता बृजलाल, बृजलाल पिता बृजलाल भूमिस्वामी	52	0.166	0.166	
8	रमाबाई पत्नी चंदनसिंह, सावित्रीबाई पुत्री चंदनसिंह, गुड्डू पिता चंदनसिंह भूमिस्वामी	18 23 55/9	0.194 0.024 0.101	0.194 0.024 0.101	
9	रतनसिंह, जामनसिंह, इक्तरसिंह पिता शेरसिंह भूमिस्वामी	16, 17/1 20 21/3	0.142 0.121 0.061	0.094 0.080 0.040	
10	रामकली पत्नी नन्हेलाल, सुखवती पुत्री नन्हेलाल भूमिस्वामी	55/2/10	0.708	0.708	
11	हरिबाई पत्नी रामसिंह, ज्ञानसिंह पिता रामसिंह, ऊजनसिंह पिता रामसिंह भूमिस्वामी	55/2/4	0.841	0.420	
12	कुन्नु पिता हीरालाल, तिलकसिंह पिता हीरालाल, ललताबाई पुत्री श्यामसिंह, इंदरसिंह पिता सुंदरलाल, सरवनसिंह पिता सुंदरलाल, कमलसिंह पिता	21/2 24 30 34	0.380 0.085 0.190 0.368	0.242 0.053 0.121 0.234	
	सुंदरलाल, वीरसिंह पिता सुंदरलाल, नरवरसिंह पिता दीलत, फूलसिंह पिता दीलत भूमिस्वामी	37 47 54 55/11	0.337 0.121 0.234 11.628	0.214 0.076 0.149 7.426	
13	राकेश कुमार पिता गुलाबचंद जैन भूमिस्वामी	55/8 55/16	1.295 1.295	1.295 1.295	
14	किशोरसिंह पिता महावीर भूमिस्वामी	4 9 14 26 28 29/1 31 35 40 45 46	0.547 1.716 0.113 0.129 0.733 0.041 0.101 0.061 0.012 0.053 0.109	0.109 0.342 0.022 0.025 0.138 0.008 0.020 0.012 0.002 0.010 0.021	
Total		39	27.339	17.954	

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0026-अ-82-2025-26

राजगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2025

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ का ग्राम-भादवाखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	भादवाखेड़ा	0.520
कुलयोग :-		0.520

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम भादवाखेड़ा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	रंगलाल, बापू पिता बीरम, मांगीबाई, कलाबाई, शांतिबाई पुत्री बीरम, दरियाबबाई बेवा बीरम, हजारी, बीरम पिता खीमा जाति गाड़री निवासी ग्राम भू-स्वामी	46	1.164	0.520
	योग :-	1	1.164	0.520
	कुलयोग	1	1.164	0.520

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

क्र. 1987-प्रवाचक-पार्वती नहर-2025

नरसिंहगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2025

प्रारूप- "ख"

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम लसुडल्यापाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में म.प्र. राज्य मेसर्स पी ई एल- पार्वती जे. वी. कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अत एव, म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

-: अनुसूची :-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली में प्रभावित ग्राम लसुडल्यापाता की भूमि में भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

मुख्यनहर

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	215/1	0.506	0.012
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	215/2/2	0.253	0.004
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	212/1/2/1	0.506	0.012
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	212/1/1/2/2	0.290	0.005
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	212/1/1/2/1	0.324	0.005
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	212/1/1/1/1	0.253	0.010
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	212/1/1/1/2	0.253	0.004
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	209/3	0.746	0.011
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	209/2	0.746	0.010
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	209/4	1.138	0.011
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	207/2/1/1	0.152	0.014
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	188/2	0.445	0.012

13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	177 / 4	0.758	0.011
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	178	0.177	0.004
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	382 / 178 / 1	0.386	0.006
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	179 / 1	0.430	0.008
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	179 / 2	0.430	0.008
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	181	0.987	0.014
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	180	0.696	0.002
20	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	134	1.341	0.015
21	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	131 / 1	0.506	0.007
22	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	128 / 1	1.703	0.018
23	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	138 / 3	0.202	0.009
24	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	138 / 2 / 2	0.353	0.006
25	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	168 / 1	0.860	0.013
26	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	412 / 161	0.645	0.013
27	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	161 / 1	0.506	0.012
28	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	161 / 2	0.392	0.008
29	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	375 / 161 / 1	1.362	0.012
30	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	3	0.582	0.010
31	राजगढ़	नरसिंहगढ़	लसुडल्यापाता	407 / 4	1.657	0.021
				किता 31	19.003	0.307

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 1988-प्रवाचक-पार्वती नहर-2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम जसापुरा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई.एल.-, पार्वती जे. वी. कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

—: अनुसूची :-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली में प्रभावित ग्राम जसापुरा की भूमि में भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	180/1	1.011	0.071
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	179	0.379	0.017
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	178	1.391	0.036
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	62/3	0.316	0.014
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	175/1	0.449	0.024
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	130/2	1.391	0.036
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	130/1/2	0.853	0.017
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	131/2	0.089	0.016
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	130/1/1	0.854	0.030
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	132/2	0.539	0.023
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	133/1	0.557	0.007
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	135/1	1.213	0.032
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जसापुरा	138	1.693	0.015
				किता 13	10.735	0.338

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1989—प्रवाचक—पार्वती नहर—2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम बरखेडा डोर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई.एल— पार्वती जे.वी.कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अत एव, म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मं. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

—: अनुसूची :-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली में प्रभावित ग्राम बरखेडा डोर की भूमि में भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

मुख्यनहर

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	515/3/1	0.721	0.026
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	516/2	0.126	0.014
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	517/2/2	1.064	0.051
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	517/2/1	0.706	0.042
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	57	1.265	0.020
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	58/1	0.506	0.004
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	65/1/1	1.315	0.036
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	62	1.151	0.022
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	63/1/1	0.821	0.013
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	63/1/2	0.759	0.012
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	63/2	1.012	0.013
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	67	1.029	0.034
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	538/67/2	0.514	0.027

14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	69/1	0.126	0.009
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	69/2	1.215	0.014
			योग	किता 15	12.330	0.337

उपनहर

1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	129/2	0.506	0.003
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	126/1/1	0.506	0.013
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	126/1/2	0.263	0.018
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	128/1	1.012	0.014
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	131/2	0.693	0.013
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	132	0.873	0.012
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	135/2	0.759	0.034
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	138/2	0.173	0.011
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	138/1	0.333	0.017
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	141	0.228	0.003
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	143/1/2/1	0.717	0.013
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	143/1/2/2	0.472	0.006
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	143/2/2/1	0.506	0.011
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	279	0.728	0.013
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	151/1/1/2	0.506	0.014
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	154	0.569	0.011
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	165/2	0.071	0.006
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	160	0.304	0.008
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	166	1.556	0.018
20	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	63/1/1	0.821	0.005
21	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बडखेडा डोर	63/2	1.012	0.032
			योग	किता 21	12.608	0.275
			कुल योग	किता 36	24.938	0.612

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 1990-प्रवाचक-पार्वती नहर-2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम माना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई.एल.-पार्वती जे. वी. कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

— अनुसूची :—

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली में प्रभावित ग्राम माना की भूमि में भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1178/2	1.151	0.025
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1178/1	0.772	0.014
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1183	1.871	0.021
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1182	0.443	0.004
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1203/1	0.248	0.008
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1203/2	1.181	0.015
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1200/3	0.912	0.022
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1200/1	0.341	0.012
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1200/2	0.341	0.006
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1199/2/1	0.531	0.013
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1208/1	0.898	0.012

12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1208 / 2	0.898	0.010
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1208 / 3	0.898	0.012
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1208 / 4	0.898	0.008
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1166 / 1	1.138	0.033
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1164 / 2 / 2	0.379	0.009
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1113 / 1 / 1	2.125	0.016
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1114 / 1	0.417	0.009
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1008	1.531	0.024
21	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1125 / 1	0.413	0.015
24	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1120	0.708	0.010
25	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1123	1.037	0.022
27	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1126 / 1	0.198	0.012
28	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	744 / 2	0.961	0.019
29	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	729 / 3	2.402	0.034
30	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	729 / 2 / 1	0.506	0.010
31	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	729 / 1 / 1 / 2	0.506	0.006
32	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	729 / 2 / 2 / 1	0.759	0.018
33	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	729 / 2 / 2 / 2 / 1	0.771	0.021
34	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	730 / 2	0.300	0.002
35	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	717 / 3	0.251	0.005
36	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	714 / 2	0.763	0.008
37	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	730 / 3	0.325	0.013
38	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	719 / 3 / 1	0.377	0.028
39	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	714 / 1	1.012	0.034
40	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	718	0.076	0.007
41	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	714 / 3	0.135	0.008
42	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	664 / 2	0.150	0.003
43	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	731 / 2	0.196	0.004

45	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	713	0.443	0.008
46	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	682	0.468	0.018
47	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	596/6/1/1/1	0.608	0.013
48	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	598	0.013	0.003
49	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	593	0.772	0.024
50	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	597/2	0.063	0.004
51	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	687/1/8	0.456	0.008
52	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	596/2/1	0.506	0.014
53	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	596/3	1.075	0.008
54	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	573/1/2	0.406	0.010
55	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	596/1	1.074	0.017
57	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	576/1/3	0.209	0.024
58	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	572/1/2/1	2.021	0.010
59	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1114/2/1	0.512	0.015
60	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1119	0.506	0.019
61	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	1121	0.620	0.020
62	राजगढ़	नरसिंहगढ़	माना	574/3	0.833	0.022
		कुल योग		किता 62	39.404	0.807

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 2017-प्रवाचक-पार्वती नहर-2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित में यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम झाडला तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई.एल-पार्वती जे.वी.कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अत एव, म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आपक्षेप भेज सकेगा।

—: अनुसूची :-

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली में प्रभावित ग्राम झाडला की भूमि में भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण :-

मुख्यनहर

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	220/3/1	0.538	0.031
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	221/1	2.706	0.060
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	224	1.429	0.035
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	225/3	0.506	0.027
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	225/4	1.265	0.011
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	199/1	1.265	0.011
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	199/2/1	0.506	0.028
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	195/2/2/1	2.644	0.049
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	195/2/1/2	1.954	0.029
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	151/2/1	0.715	0.034
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	195/2/1/1	2.207	0.029
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	152/2/1	1.410	0.036

13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	152/2/2	1.918	0.038
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	153/4/1/1	0.385	0.028
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	156	0.443	0.033
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	155/4	0.506	0.032
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	164/2	1.037	0.019
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	165/2	0.792	0.027
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	166	0.101	0.025
20	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	17/4	1.707	0.083
21	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	16/2/1	1.285	0.050
22	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	5/2/1	3.710	0.010
			योग	किता 22	29.029	0.725

उपनहर

1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	17/4	1.707	0.007
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	17/1/2	0.809	0.007
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	17/5	0.721	0.019
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	18/2/2	0.800	0.018
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	18/1	0.519	0.009
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	22/2	0.223	0.008
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	26/5/1	0.900	0.010
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	72/1	0.518	0.007
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	72/2	0.533	0.010
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	58/1/2/1	0.316	0.009
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	63	0.392	0.012
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	60/1	0.635	0.010
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	65/2/3/1	0.583	0.006
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	65/2/2	0.182	0.003
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	52	0.152	0.006
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	53/5	0.380	0.014
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	47/1/1	0.158	0.010
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	376/1	0.320	0.017
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	388	0.746	0.008
20	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	389	0.367	0.014
21	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	377	0.240	0.005

22	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	386	0.139	0.002
23	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	387	1.012	0.008
24	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	390/3/3	0.506	0.014
25	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	591/1/3	0.763	0.009
26	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	591/1/2	0.763	0.016
27	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	591/1/1	0.763	0.002
28	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	592/2/3	588	0.029
29	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	588/2/2	0.506	0.009
30	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	581/1/1/1/3	0.885	0.014
31	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	581/1/1/1/1/2/1	0.442	0.013
32	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	581/1/1/1/2/2	0.440	0.011
33	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	579/1	1.265	0.030
34	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	576/1	1.205	0.014
35	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	576/2/1/1/1	1.520	0.002
36	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	576/2/1/1/2	0.167	0.010
37	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	576/3/2/1	0.466	0.011
38	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	576/3/1/2	0.190	0.008
39	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	567/2/1	0.227	0.017
40	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	566	1.455	0.035
41	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	540/1	2.694	0.022
42	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	544/1	2.238	0.022
43	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	544/2/1	0.759	0.011
44	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	545/1	1.227	0.018
45	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	534/1	0.290	0.012
46	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	534/2	1.581	0.008
47	राजगढ़	नरसिंहगढ़	झाडला	530/1/1	0.616	0.013
			योग	किता 47	255.662	0.569
			कुल योग	किता 69	284.691	1.294

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

सुशील कुमार, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन,
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**

क्र.-भू-अर्जन-2025-2157-प्र.क्र.-0004-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त 2025

प्रारूप- "घ"
(नियम-6 देखिए)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा - 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक - भू-अर्जन/प्र.क्र./0004/अ-82/2024-25 दिनांक -26.09.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन तक के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.10.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर दिनांक 05.12.2026 तक के लिये राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
उज्जैन	उज्जैन I	ग्राम गंगेड़ी पटवारी हल्का क्रमांक 24	4/3	0.12
			44/4	0.74
			4/4/2	0.11

	44/1	0.10
	44/2	0.63
	44/3	0.73
	43	1.70
	40/2	0.02
	40/3	0.02
	46/2	0.03
	42/1	1.94
	42/2	1.58
	45/1	0.45
	45/2	1.12
	41/1	0.45
	82/1/1/1	0.25
	82/2/1/1/2	0.09
	82/2/1/1/1	2.01
	83/1	4.06
	83/2	0.16
	83/3	0.58
	84	0.10
	85	0.16
	213/1	0.51
	213/7/1	0.27
	225/2/3	1.20
	213/4	0.17
	210/2	0.15
	210/10/1	0.02
	210/3/2/2	0.02
	224	0.33
	223	0.13
	225/1	0.41
	225/3	0.88
	214/2/2/2	0.16

		225/2/1	0.27
		225/2/2	0.07
		226/2	0.07
		219/1	0.05
		219/6	0.03
		219/7	0.04
		219/8	0.03
		219/9	0.03
		219/2	0.07
		219/3	0.26
		219/4	0.30
		219/5	0.10
		218	0.90
		217/2	0.25
		217/1	0.29
		216	1.06
		215/1	1.00
		180/1	0.60
		215/2	0.07
		180/2	0.40
		250	2.31
		247/2/1	1.56
		251	0.13
		270	0.44
		247/1/1	0.16
		249/1	2.38
		249/3	0.12
		248	1.68
		247/2/2	1.34
		247/1/2	0.06
		253/1	0.03
		447/1/1	0.03
		447/2	0.20
		447/3	0.52
		475/1/2	0.22
		475/1/1/2	0.13
		475/1/1/1/1	0.50
		475/1/1/1/2	0.28
		476	1.14
		480	0.10
	कुल योग	76	41.02

प.क्र. 2223-री-1-भूअ.-2025

उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2025

प्ररूप- "ख"

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव, राज्य सरकार को लोकोहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के उपयोग हेतु ग्राम-चंदेसरी प.ह.नं. 86 तहसील-उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन जिला-उज्जैन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन का कार्य किया जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन कार्य के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन जिला-उज्जैन मध्य प्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

-: अनुसूची :-

जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की वाली भूमि (हेक्टे.में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	चंदेसरी/086	368/1	0.0047
			366/2	0.0146
			366/1	0.0036
			365/2	0.0018
			365/1	0.0114
			356/2/5	0.0047
			356/2/4	0.0042
उज्जैन	उज्जैन	चंदेसरी/086	356/2/3	0.0044
			356/2/2	0.0044
			356/2/1	0.0047
			354/1	0.0172
			353/2	0.0068
			352/2	0.0060
			351/2	0.0062
			351/3/2	0.0057
			351/1	0.0013
			336/1	0.0135
			335	0.0172
			337	0.0013
			332/1/2	0.0208
			330/3/2	0.0140
			166/2	0.0598
			167	0.0286
			168	0.0338
			169	0.0322
			योग	0.3229

कृत्तिका भीमावद, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-8379-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.96-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2025

**भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(कमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा-19**

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम दाऊखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची -01 :-

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है. में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	दाऊखेडी	10.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु

**अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)**

स.क्र.	भूमिरवामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा है. मे.	प्रभावित रकबा है. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	अहिल्याकुंवर बेवा कमलसिंह, गोपालसिंह पिता कमलसिंह, हरेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा	18/1	1.46	0.12	सिंचित

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रमाणित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
2	कृष्णपालसिंह पिता भारतसिंह पता पचलानाबिल बडनगर उज्जैन	18/2	0.20	0.20	सिंचित
3	केसरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी	21	1.80	1.28	सिंचित
4	भैवरकुँवर बेवा भारतसिंह, रविन्द्रसिंह पिता भारतसिंह, शिवकुँवर पिता भारतसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी	22	1.66	1.66	सिंचित
5	कैलाशकुँवरबाई पति अन्तरसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा	23	0.97	0.49	सिंचित
6	देवेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा	76/1	0.48	0.48	सिंचित
7	विजेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी मानपुरा	76/2/1	0.30	0.30	सिंचित
8	गोविंद सिंह पिता भगवान सिंह पता रूपाहेडा बडनगर उज्जैन	76/2/2	0.18	0.18	सिंचित
9	कुलदीपसिंह पिता राजेन्द्रसिंह राजपूत निवासी मानपुरा	76/3	0.94	0.94	सिंचित
10	भेरुसिंह पिता परथा निवासी उज्जैन	80	0.74	0.22	सिंचित
11	हाकमसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह निवासी दाऊखेड़ी	81/1	0.70	0.44	सिंचित
12	बापूलाल पिता पन्नालाल, शिवनारायण, गुलाब, व रीना पुत्री बापूलाल जाति नायक निवासी दाऊखेड़ी	81/2	0.60	0.31	सिंचित
13	चतरकुँवर पति अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन	254	1.68	0.86	सिंचित
14	भैवरसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी दाऊखेड़ी	256	0.99	0.33	सिंचित
		258	1.28	0.03	सिंचित
		259	1.32	1.23	सिंचित
		264	0.55	0.36	सिंचित
	योग	4	4.14	1.95	सिंचित
15	भेरुसिंह पिता औंकारसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन	260	0.36	0.36	सिंचित
		261	0.75	0.26	सिंचित
	योग	2	1.11	0.62	सिंचित
16	दिलीपसिंह पिता भेरुसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन	262	0.22	0.22	सिंचित
17	महेन्द्रसिंह पिता भैवरसिंह जाति राजपूत निवासी उज्जैन	263	0.50	0.50	सिंचित
		265	0.65	0.09	सिंचित
	योग	2	1.15	0.59	सिंचित
महायोग				10.86	

सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-8380-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0073-अ-82-2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013
(क्रमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा -19

चूंकि सगुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इंगोरिया-उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु ग्राम पलसोड़ा तहसील बडनगर जिला उज्जैन की वर्णित भूमि जिसका कृपकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल	धारा 12 अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	बडनगर	पलसोड़ा	1.5394	समर्पण प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास, नियम उज्जैन (म.प्र.)	इंगोरिया-उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेड, शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा (हे.मै.)	प्रभावित रकबा (हे.मै.)	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	चिंतामणी पति राजेश	21/1/1	0.4600	0.1200	सिंचित
2	गोविन्द पिता जयराग व मुकुंश पिता कचरु सिंह	21/1/2	0.6000	0.1600	सिंचित
3	बहादुर सिंह पिता गिरवर सिंह	21/2	0.2000	0.1600	सिंचित
4	मनोहर सिंह पिता अगर सिंह	21/3	0.5000	0.1420	सिंचित
5	तेज सिंह पिता सोहन सिंह	21/4	1.1000	0.0700	सिंचित
6	विक्रम सिंह पिता गिरवर सिंह	21/5	1.2000	0.2200	सिंचित
7	भैरव सिंह पिता विक्रम सिंह	21/6/1	0.7700	0.2000	सिंचित
8	भीमा पिता भेरा	124/629/1	0.1000	0.0040	सिंचित
9	रतन पिता भेरा	124/629/2	0.1000	0.0060	सिंचित
10	रतन पिता भेरा	125	0.2000	0.0100	सिंचित
11	रतन पिता भेरा	126	0.3000	0.1220	सिंचित
12	भैरु सिंह, आशा कुवर, अनिता पिता दरबार सिंह, प्रेम कुंदर विधवा दरबार सिंह	127/1	1.2500	0.1230	सिंचित
13	घनश्याम सिंह पिता अगर सिंह	127/2	1.2500	0.2000	सिंचित
14	नंदराम पिता मुन्ना प्रजापत	124/1	0.2600	0.0024	सिंचित
कुल योग			8.7500	1.5394	

इंगोरिया-उन्हेल मार्ग 2 लेन विथ पेड शोल्डर रोड के निर्माण अन्तर्गत परियोजना रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बडनगर जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-8549-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.98-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 9 सितम्बर 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-01 में सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु तहसील उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के ग्राम सिलारखेडी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-02 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -02 की भूमि की अनुसूची -01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची -01 :—

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन को उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन ग्रामीण	सिलारखेडी	35.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग उज्जैन	सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु

—: अनुसूची -02 :—

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे.	प्रभावित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	कविताबाई बेवा कमलसिंह, विरेन्द्र नाबालिक पिता कमलसिंह संरक्षक कविताबाई, उर्मिला नाबालिक पुत्री कमलसिंह संरक्षक कविताबाई, अन्तरबाई पुत्री भवरलाल, पार्वतीबाई पिता भवरलाल पता ग्राम उज्जैन	2	0.40	0.40	सिंचित

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे	प्रभावित रकबा हे मे	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
2	मानाबाई पति भगवानसिंह पता लोहागल इन्दौर	3	1.34	1.34	सिंचित
3	अनिल परमार पिता बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन	4/1	0.57	0.57	सिंचित
		52	0.20	0.02	सिंचित
	योग	2	0.77	0.59	
4	विक्रमसिंह परमार पिता गंगाराम जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन	4/2	0.57	0.57	सिंचित
		6/3/1	0.28	0.28	सिंचित
		7/3/2	0.09	0.09	सिंचित
		7/4/1	0.06	0.06	सिंचित
	योग	4	1.00	1.00	
5	नाथुसिंह पिता गंगाराम जाति बलाई पता ग्राम उज्जैन	4/3	0.21	0.21	सिंचित
		5/1/1	0.09	0.09	सिंचित
		5/2/1	0.09	0.09	सिंचित
		5/3/1	0.09	0.09	सिंचित
		5/4/1	0.10	0.10	सिंचित
		7/1	0.20	0.20	सिंचित
		7/2	0.20	0.20	सिंचित
		7/3/1	0.03	0.03	सिंचित
	योग	8	1.01	1.01	

सं. क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे.	प्रभावित रकबा हे मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
6	जुझारसिंह परमार पिता गिरधारीलाल परमार पता सिलारखेडी उज्जैन	5/1/2	0.15	0.15	सिंचित
		5/2/2	0.15	0.15	सिंचित
		5/3/2	0.14	0.14	सिंचित
		5/4/2	0.13	0.13	सिंचित
	योग	5	0.57	0.57	
7	धूलजी पिता रेवाराम पता ग्राम उज्जैन	6/1	0.75	0.75	सिंचित
8	मदनसिंह पिता हिन्दूसिंह पता ग्राम उज्जैन	6/2/1	0.37	0.37	सिंचित
9	ममता पति मायाराम जाति बलाई पता ग्राम उज्जैन	6/2/2/1	0.20	0.20	सिंचित
		24/2/1/2	0.28	0.28	सिंचित
		9/2/2	0.18	0.18	सिंचित
	योग	3	0.66	0.66	
10	सीता पति अमृतलाल जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन	6/2/2/2	0.18	0.18	सिंचित
		47/1	0.57	0.35	सिंचित
	योग	2	0.75	0.53	
11	धर्मेन्द्र परमार पिता गिरधारीलाल परमार पता सिलारखेडी उज्जैन	6/3/2	0.24	0.24	सिंचित
		7/4/2	0.07	0.07	सिंचित
		7/5	0.12	0.12	सिंचित
	योग	3	0.43	0.43	

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे	प्रभावित रकबा हे मे	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
12	अजय परमार पिता बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन	6/3/3	0.23	0.23	सिंचित
		7/6	0.20	0.20	सिंचित
		9/3/1	0.14	0.14	सिंचित
	योग	3	0.57	0.57	
13	कमलसिंह पिता माधोसिंह उर्फ माधवसिंह निर्भयसिंह पिता माधवसिंह जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन	9/1	0.38	0.38	सिंचित
		24/1	0.37	0.37	सिंचित
	योग	2	0.75	0.75	
14	अमृतलाल पिता काना जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन	9/2/1	0.21	0.21	सिंचित
		24/2/1/1	0.10	0.10	सिंचित
	योग	2	0.31	0.31	
15	प्रेमबाई परमार पति बाबुलाल पता सिलारखेडी उज्जैन	9/3/2	0.25	0.25	सिंचित
16	तेजुबाई परमार पति गिरधारीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन	9/3/3	0.39	0.39	सिंचित
17	निर्भयसिंह परमार पिता माधवसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन	10/1	0.18	0.18	सिंचित
18	पानसिंह पिता रतनलाल पता ग्राम उज्जैन	10/2	0.17	0.17	सिंचित

क्र.	संकेतनाम: 1. नाम पिता का नाम 2. पता स्थान	खसरा संख्या	फल अंश	पुत्री का अंश	संकेत
1	2	3	4	5	6
19	मोहनलाल पिता अल्मारम पता ग्राम सज्जन	10/3 27/1/1	0.17 1.12	0.17 1.12	संकेत
	योग	2	1.29	1.29	
20	सुखलाल पिता काला पता ग्राम सज्जन	10/4	0.17	0.17	संकेत
21	सज्जन पिता दिनेश पिता शंकरलाल ताराबाई पुत्री शंकरलाल इंदरलाल पिता काला पता ग्राम सज्जन कालाबाई पुत्री सुखलाल ताराबाई पुत्री सुखलाल पता सज्जन	11/1	0.19	0.49	संकेत
22	जितेन्द्र पिता कैलाश पता सिलारखेडी सज्जन	11/2	0.20	0.20	संकेत
23	जितेन्द्र पिता कैलाश पता सिलारखेडी सज्जन	12	0.64	0.64	संकेत
24	कृष्णबाई पिता कैलाश जाति बलाई पता सिलारखेडी सज्जन	13/1	0.32	0.32	संकेत
25	कृष्णबाई पिता कालीराम पता सिलारखेडी सज्जन	13/2	0.32	0.32	संकेत

स क	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे	प्रभावित रकबा हे मे	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
26	रामचन्द्र पिता माताप्रसाद, विजय पिता बद्रीलाल, अनिल पिता बद्रीलाल, सुमन पिता बद्रीलाल, ज्योती पिता बद्रीलाल, राममूर्तिबाई बेवा बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन	14	2.42	2.42	सिंचित
		26	0.50	0.50	सिंचित
	योग	2	2.92	2.92	
27	धुलजी पुत्र रेवाराम पता ग्राम उज्जैन	15/1/1	0.37	0.37	सिंचित
28	निर्भयसिंह परमार पिता माधवसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन	15/1/2	0.37	0.37	सिंचित
29	मकसुद पटेल पिता बाबु पटेल, इलियास पटेल पिता बाबु पटेल, आजाद पटेल सरफराज पटेल हम्मुबी पटेल पिता यासीन पता दताना उज्जैन	15/2	0.37	0.37	सिंचित
		19/1	0.08	0.08	सिंचित
		19/3	0.09	0.09	सिंचित
		19/4	0.09	0.09	सिंचित
		20	1.07	1.07	सिंचित
	योग	5	1.70	1.70	
30	भायकबाई पति रामचन्द्र पता ग्राम उज्जैन	16	0.49	0.49	सिंचित
31	सीताबाई पति रुखमाचन्द ग्राम उज्जैन	16/210	0.49	0.49	सिंचित
32	इस्लाम पटेल पिता इसहाक पटेल पता 689 खजराना बैडी खजराना इंदौर	16/211/2	0.17	0.17	सिंचित

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे	प्रभावित रकबा हे मे	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
33	गुलाबबाई बेवा लिलाधर जाति गारी पता सावेर इंदौर	16/211/1	0.32	0.32	सिंचित
34	अन्तरसिंह पिता रूपसिंह, शेतानबाई पति रूपसिंह, गब्बरसिंह पिता बाबुलाल, राजेश पिता बाबुलाल, समशेरसिंह पिता शंकरसिंह, सपना पिता शंकरसिंह, सीमा पिता शंकरसिंह, भागवताबाई पति शंकरसिंह, राधाबाई पति उमरावसिंह, उत्तमसिंह उम्मेदसिंह पिता उमरावसिंह भवरबाई, लीलाबाई पति सौदानसिंह, लाखनसिंह, माखनसिंह सरिता, कविता पिता सौदानसिंह पता सिलारखेडी उज्जैन	17	0.84	0.84	सिंचित
35	जगदिश पिता मादू पता ग्राम उज्जैन	19/2	0.09	0.09	सिंचित
36	भायकबाई बेवा अम्बाराम पता ग्राम उज्जैन	21	0.60	0.60	सिंचित
		22/1	0.36	0.36	सिंचित
	योग	2	0.96	0.96	
37	राहुल परमार पिता कमलसिंह परमार, अभिषेक परमार पिता कमलसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन	22/2	0.96	0.96	सिंचित
		30	0.21	0.21	सिंचित
	योग	2	1.17	1.17	
38	संगीता परमार पति निर्भयसिंह परमार पता सिलारखेडी उज्जैन	23	0.93	0.93	सिंचित

स क	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे	प्रभावित रकबा हे मे	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
39	सुमित्राबाई पति नाथूसिंह, लीलाबाई पति विक्रमसिंह पता ग्राम उज्जैन	24/2/2	0.74	0.74	सिंचित
40	गिरिश कुमार पिता सुन्दरलाल गांधी पता 143/4 शास्त्री नगर उज्जैन	27/1/2	0.08	0.08	सिंचित
		27/2	0.23	0.23	सिंचित
		28	2.82	2.82	सिंचित
	योग	3	3.13	3.13	
41	आकाश पिता गिरीश कुमार गांधी पता 143/4 शास्त्री नगर उज्जैन	29	0.21	0.21	सिंचित
42	फरीदाबी पति मुशी पटेल पता मतानाकला उज्जैन	31/1	0.54	0.54	सिंचित
		32/1/1/1	0.26	0.26	सिंचित
		32/1/1/2	0.21	0.17	सिंचित
		32/3	0.80	0.25	सिंचित
		34/1	0.50	0.13	सिंचित
	योग	5	2.31	1.35	
43	राधा पति जगदिश पता ए 7/4 महाकाल वाणिज्य केन्द्र उज्जैन	31/2/1	0.54	0.54	सिंचित
		32/1/2/1	0.36	0.28	सिंचित
	योग	2	0.90	0.82	
44	रायसिंह पिता भेरूलाल, प्रेमबाई पिता भेरूलाल, मायाबाई पिता भेरूलाल जाति बलाई पता सिलारखेडी उज्जैन	31/2/2	0.07	0.07	सिंचित

स.क.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे मे	प्रभावित रकबा हे मे	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
45	मुकेश पिता राजाराम, कुन्ताबाई पति राजाराम, सीमाबाई पिता राजाराम पता सिलारखेडी उज्जैन	39	0.10	0.03	सिंचित
46	गणपत पिता रुखमाचन्द, बालुसिंह उर्फ बालमुकुन्द पिता रुखमाचन्द, सीताबाई बेवा रुखमाचन्द, कुलदीप पिता बहादुर, कपील पिता बहादुर, सुहागबाई पिता रुखमाचन्द पता सिलारखेडी उज्जैन	36	0.80	0.42	सिंचित
47	पोपसिंह पिता रामचन्द्र पता उज्जैन	36/212	0.79	0.79	सिंचित
48	धारासिंह पिता बिहारी, छीताबाई पिता बिहारी, सुन्दरबाई बेवा बिहारी, गीताबाई बेवा बिहारी पता सिलारखेडी उज्जैन	37	0.10	0.10	सिंचित
49	रेशमबाई पति गणपत पता ग्राम उज्जैन	38	0.10	0.04	सिंचित
50	रायसिंह पिता धूलसिंह जाती बलाई पता ग्राम उज्जैन	47/2	0.57	0.14	सिंचित
51	सुरेसिंह पिता हीराजी, फुलसिंह पिता हीराजी, प्रहलादसिंह पिता हीराजी, राजाराम पिता हीराजी, हरीसिंह पिता हीराजी, कंचनबाई बेवा हीराजी पता सिलारखेडी उज्जैन	49/1	0.20	0.20	सिंचित

स क	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. मे	प्रभावित रकबा हे. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6
52	शौकत पिता छितू पता दताना उज्जैन	49/2	0.28	0.28	सिंचित
		49/5	0.28	0.28	सिंचित
		18	1.01	1.01	सिंचित
	योग	3	1.57	1.57	
53	राजेश पिता रणछोडलाल पता 38/1 नागझिरी उज्जैन	49/3	0.14	0.14	सिंचित
		49/4	0.28	0.28	सिंचित
		50/1	0.20	0.08	सिंचित
	योग	3	0.62	0.5	
54	बद्रीलाल पिता नग्गाजी सायरबाई पत्नि बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन	51/1	0.11	0.11	सिंचित
55	चरणसिंह पिता बद्रीलाल पता सिलारखेडी उज्जैन	51/2	0.60	0.30	सिंचित
	महायोग		37.84	35.04	

2. सेवरखेडी-सिलारखेडी परियोजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु।
3. भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 09-अ-82-2024-25-भू-अर्जन-सि.ला.7428

मुरैना, दिनांक 19 अगस्त 2025

{ भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (सहपठित म.प्र. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) नियम, 2015 के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (पुलिस थाना सिविल लाईन के पीछे निर्मित शासकीय क्वाटरों से संबंधित निज स्वामित्व की भूमि का अधिग्रहण) के लिये ग्राम-जौराखुर्द, तहसील व जिला मुरैना में कुल रकबा 0.062 हेक्टे. अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एस.आई.ए. यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विवरित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच/रिपोर्ट का सार इस प्रकार है (धारा-04 एवं अन्य उपबंधों का प्रकाशन विहित प्रक्रिया अनुसार किया गया है) भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- मुरैना के ग्राम- जौरा खुर्द प0ह0नं0- 10 रा0नि0वृत्त- 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.062 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)	वृक्ष	सन रचना ऐ
1	186/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.062	निर्मला शर्मा पत्नि हरिश्चन्द्र शर्मा, चन्द्र शेखर शर्मा जितेन्द्र शर्मा, गौरव शर्मा पुत्रगण हरिश्चन्द्र शर्मा जाति ब्रा. निवासी लुहार गली मदीना होटल के सामने एम. एस.रोड मुरैना तथा हिस्सा 1/6 पर मंजू बेबा रमेशचन्द्र, ओमेश पुत्र रमेशचन्द्र, खुशबु रमेशचन्द्र जाति ब्रा. निवासी बसंत बिहार कालोनी पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुरैना तथा हिस्सा 4/6 पर दिनेश, राजेश पुत्रगण वासुदेव प्रसाद, चन्द्र प्रकाश पुत्र वासुदेव प्रसाद शुभम शर्मा पुत्र स्व. श्री उमाशंकर शर्मा जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी	निरंक	निरंक
कुल किता 01			0.062				

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-376-भू-अर्जन-2025

देवास, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन-पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस - 3 के निर्माण के लिए ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे नम्बर की हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 3 के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूचित-1

ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा है, में		
	हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस -3 के निर्माण हेतु	सिंचित	असिंचित	योग
				6.82 है.

अनुसूचित-2

हाटपिपल्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस -3 के निर्माण के लिए ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण।

ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास

क्र.	कृषक का नाम व पता	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा		
1	2	3	4	5	6
			सिंचित	असिंचित	कुल
1	सातन पिता गोपाल जाति भिलाला नि.पांजरिया	4/1	1.26 है.	0	1.26 है.
2	पारुबाई पति उकार जाति भिलाला नि.पांजरिया	4/2	1.27 है.	0	1.27 है.
3	रामा पिता गोपाल जाति भिलाला नि.पांजरिया	4/3	1.26 है.	0	1.26 है.
4	किशन पिता नाना जाति भिलाला नि.पांजरिया	3	2.03 है.	0	2.03 है.
5	रत्न पिता गोपाल जाति भिलाला नि.पांजरिया	5	1.00 है.	0	1.00 है.
	कुल रकबा		6.82 है.		6.82 है.

क्र.-381-भू-अर्जन-2025

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ आई.एस.पी.-पार्वती लिंक परियोजना फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सर्ज टैंक क्रमांक 1 ए और 1 बी के निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास में भूमि सर्वे नं. 24/2 रकबा 8.04 है. में से रकबा 0.09 है. अपेक्षित है, अर्थात् इसलिये घोषणा की जाती है, कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन भूमि है जो ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	24/2	निजी	सिंचित भूमि	0.09	कमल किशोर पिता बिहारी जाति नाई

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 01 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम मेलपीपल्या तहसील खातेगांव जिला देवास क्षेत्र 0.09 है. में।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प.क्र.-517-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025

तेंदूखेड़ा, दिनांक 01 सितम्बर 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि अर्जन की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

-: अनुसूची-1:-

- 1/ परियोजना का नाम : नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमियों का भू-अर्जन ।
- 2/ भूमि का विवरण -

1	जिला	नरसिंहपुर
2	तहसील	तेंदूखेड़ा
3	ग्राम	पदम
4	प0ह0नं0	43
5	नं0बं0	249
6	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	3.605 हे0 भूमि

क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	राजकुमार पिता पन्नालाल तिवारी जाति ब्रा. पता रुकवारा तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10 (s)	0.440
			8/2 (s)	0.030
2.	शंकरलाल पिता रामचरण पुष्पाबाई पति शंकरलाल जाति मेहरा पता नौरंगपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11/1 (s)	0.120
3.	आँकार पुत्र भददू जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी भोपाल पुत्र भददू जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11/3 (s)	0.121
4.	बड़ीबाई वेवा कालूराम शिवप्रसाद पिता कालूराम जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/1 (s)	0.260
5.	घनश्याम पुत्र मंगल जाति ढीमर पता पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	12/2 (s)	0.260
6.	कुसुमबाई पति केवलसिंह जाति ढीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	13(s)	0.385
			15 (s)	0.060
			61 (s)	0.310
			62 (s)	0.880
7.	गुड्डा उर्फ राजू पिता मिहीलाल जाति नौरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/1 (s)	0.140
8.	जीराबाई पति देवीसींग जाति नौरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/2 (s)	0.037
9.	लीलाबाई बाई वेवा टन्दूलाल जाति नौरिया पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/3 (s)	0.037
10.	भूरीबाई पति चन्द्रभान जाति नौरिया पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14/4 (s)	0.070
11.	प्रभाबाई पति राधेश्याम जाति मेहरा पता नौरंगपुर तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	60 (s)	0.315

^

12	फूलाबाई वेवा दमोल बाबूलाल बबलू पिता दमोल माया बैजन्ती पुत्री दमोल जाति डीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	65/2 (s)	0.040
			63/2 (s)	0.038
13	हुकमसिंह मूंगाराम पिता डालचंद दयाबाई वेवा डालचंद जाति डीमर पता पदम तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	63/3(S)	0.062

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक-29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदूखेड़ा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तेंदूखेड़ा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग तेंदूखेड़ा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 882-3-3-4-2025-ए-सोलह-

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2025

भारत सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना एस.आर.ओ. 372, दिनांक 26 फरवरी, 1952, तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1163-2279534-2024-ए-सोलह, दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक, में दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, सुश्री पी. जासेमिन अली सितारा, प्रभारी उप श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को ऐसे व्यवसाय संघों के लिए जिनका उद्देश्य एक राज्य में सीमित नहीं है और जिनके मुख्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है, पंजीयक, व्यवसाय संघ नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. 882-3-3-4-2025-A-XVI.

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act, 1926 (16 of 1926), Government of India, Labour Department's Notification S.R.O. 372, dated 26th February, 1952 and in supersession of this department's Notification No. 1163-2279534-2024-A-XVI, dated 8th October, 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 11th October, 2024, the State Government, hereby, appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara, In-charge Deputy Labour Commissioner, Office of the Deputy Labour Commissioner, Government of Madhya Pradesh, Bhopal as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

क्र. 881-3-3-4-2025-ए-सोलह.-

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना 1163-2279534-2024-ए-सोलह, दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक, में दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, सुश्री पी. जासेमिन अली सितारा, प्रभारी उप श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को पंजीयक, प्रतिनिधि संघ के रूप में नियुक्ति है।

2. यह अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. 881-3-3-4-2025-A-XVI.-

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of this department's Notification No. 1163-2279534-2024-A-XVI, dated 8th October, 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 11th October, 2024, the State Government, hereby, appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara, In-charge Deputy Labour Commissioner Office of the Deputy Labour Commissioner, Government of Madhya Pradesh, Bhopal as Registrar Representative Union.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

क्र. 883-3-3-4-2025-ए-सोलह.-

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1163-2279534-2024-ए-सोलह, दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक, में दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, सुश्री पी. जासेमिन अली सितारा, प्रभारी उप श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को ऐसे व्यवसाय संघों के लिए, जिनका उद्देश्य इस राज्यक्षेत्र तक सीमित हों, को मध्यप्रदेश राज्य के पंजीयक के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. 883-3-3-4-2025-A-XVI.-

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act, 1926 (16 of 1926), Government of India, Labour Department's Notification S.R.O. 372, dated 26th February, 1952 and in supersession of this department's Notification No. 1163-2279534-2024-A-XVI, dated 8th October, 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 11th October, 2024, the State Government, hereby, appoints Ms. P. Jasemin Ali Sitara, In-charge Deputy Labour Commissioner, Office of the Deputy Labour Commissioner, Government of Madhya Pradesh, Bhopal as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

क्र. 885-1444-2017-ए-सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1087/1444/2017/ए-16, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (1) प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

प्रथम अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम
(1)	(2)
35	सुश्री प्रिया अग्रवाल

- (2) द्वितीय अनुसूची में, अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:-

द्वितीय अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम
(1)	(2)
14	सुश्री आकांक्षा पाठक
15	श्री सौरव कुमार गुप्ता

2. उक्त अनुसूचियों में उल्लिखित अधिकारी जो निलंबन के अधीन या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हो, उन्हें ऐसी अवधि के दौरान ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी।

No. 885-1444-2017-A-XVI.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. 1087/1444/2017/A-16, dated 23th September, 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I, dated 27th September, 2024, namely:-

AMENDMENTS

- (1) In the First Schedule, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

First Schedule

S.No.	Name of the Officer
(1)	(2)
35	Ms. Priya Agrawal

- (2) In the Second Schedule, after serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

Second Schedule

S.No.	Name of the Officer
(1)	(2)
14	Ms. Akanksha Pathak
15	Shri Saurav Kumar Gupta

2. The Officers mentioned in above Schedules, who are under suspension or superannuated shall not be delegated such powers during such period.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे, अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्रमांक/एफ 15-02/2009/10-2:: यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38(U) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, बाघों, सह-परभक्षियों एवं भक्ष्य पशुओं की सुरक्षा, प्रबंधन एवं संवर्धन की गतिविधियों के समन्वयन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से अधिसूचना के मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार करता है:-

क्र	स्टीयरिंग कमेटी के पदाधिकारी	पद
क	माननीय मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
ख	माननीय मंत्री जी, वन विभाग/राज्य मंत्री, वन विभाग	उपाध्यक्ष
ग	पांच शासकीय सदस्य	सदस्य
	1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
	2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन विभाग	सदस्य
	3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
	4. क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व	सदस्य
	5. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व	सदस्य
घ	तीन वन्यप्राणी विशेषज्ञ	
	1. श्री अनीस अंधेरिया, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, मुम्बई।	सदस्य
	2. श्री जितेन्द्र अग्रवाल, सेवा निवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.।	सदस्य
	3. डॉ. विभाष पांडव, वरिष्ठ प्राध्यापक, देहरादून।	सदस्य
ङ	आदिवासी सलाहकार परिषद् के दो सदस्य	सदस्य
च	1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सदस्य सदस्य
छ	मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश	पदेन सदस्य सचिव

2/ वित्त विभाग के जाप क्रमांक एफ 11-36-2003-नियम-चार, दिनांक 04 फरवरी 2006 के द्वारा जारी निर्देशानुसार स्टीयरिंग कमेटी में अशासकीय सदस्यों को रेल की द्वितीय श्रेणी एयर कंडीशन की यात्रा, वन विभाग के रेस्ट हाऊस में ठहरने की पात्रता होगी। बैठक में भाग लेने हेतु अशासकीय सदस्य को रुपये 1000/- प्रतिदिन के मान से मानदेय की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव..

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0399/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - रायसेन
सिलवानी
वनमण्डल

- सामान्य वनमण्डल रायसेन

तहसील -

वन परिक्षेत्र - जैथारी

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	सेमराखास-1	सेमराखास	शासकीय भूमि	14/2 (भाग)	3.783	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड सेमराखास-1 के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 14 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड सेमराखास-1 के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 17 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड सेमराखास-1 के मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवम मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग :-					3.783	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक-FP/MP/WATER/485920/2024 दिनांक 06-05-2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार एम.पी. जल निगम भोपाल की स्वीकृत परियोजना बेगमगंज एक्स-11 मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना में प्रभावित 3.269 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.783 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.783 हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन के प्रकरण आदेश क्रमांक/प्र.क्र./55/अ-20(3)कले./2024-25/पारित आदेश दिनांक 19-11-2024 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार जैथारी/प्रतापगढ़ तहसील सिलवानी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र.-PCCF-7-0399-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-PCCF-7-0399-2025-FLR-PCCF, दिनांक 8 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 8th September 2025

No./PCCF/7/0399/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District- Raisen****Forest Division-Raisen Division (T)****Tehsil- Silwani****Range- Jaithari**

S.N.	Name of Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area In Hec	
1	Semrakhas-1	Semarakhas	Government Land	14/2 (part)	3.783	North – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 3 of Protected Forest Block Semrakhas-1. East – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 14 of Protected Forest Block Semrakhas-1. South - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 17 of Protected Forest Block Semrakhas-1. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 17 to 18 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block Semrakhas-1.
				TOTAL	3.783	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi, Regional Office Bhopal, Order No. FP/MP/Water/485920/2024 dated 06.05.2025, and in lieu of 3.269 hectares of affected forest land under the sanctioned project of Begamganj Ex-II Multi Village Water Supply Scheme of MP Jal Nigam, Bhopal, the above-mentioned non-forest land measuring 3.873 hectares has been transferred/mutated in favor of the Government of Madhya Pradesh, Forest Department, by Order No. P.N./55/A-20(3) Coll./2024-25 dated 19.11.2024 of Collector, District Raisen (M.P.), for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of Other Reasons – NIL

(B) Khasra-wise details of recorded rights on the above land as per certificate from the competent revenue officer, Nayab Tehsildar, Jaithari/Pratapgarh, Tehsil Silwani, are as under:

1. **Individual Rights** – No individual rights of any person exist on the above-mentioned non-forest land.
2. **Community Rights** – No community rights of any community exist on the above-mentioned non-forest land.

Therefore, the above-mentioned land is hereby declared as *Protected Forest* under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Sec.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0487/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि उक्त भूमि पर व्यक्तियों अथवा समुदायों के वर्तमान अधिकार, जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित अथवा रूपांतरित किया जा सकता है, के अतिरिक्त, किसी भी प्रकार से कम या प्रभावित नहीं किए जाएंगे।

अनुसूची

जिला – खंडवा

तहसील – खालवा

वनमंडल – खंडवा (सा.)

वन परिक्षेत्र – सरमेश्वर (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मंद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	दोंगालिया (अ)	दोंगालिया	घास	287/2	15.0	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ) के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ) के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 33 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ) के मुनारा क्रमांक 33 से मुनारा क्रमांक 50 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड दोंगालिया (अ) के मुनारा क्रमांक 50 से 1 एवम मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग					15.0	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. कलेक्टर जिला खंडवा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-59/2024-25 आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंडवा को मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई इंदौर की प्रस्तावित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/WATER/484062/2024 में प्रभावित वनभूमि 8.9952 हेक्टेयर के बदले ग्राम दोंगालिया, तहसील खालवा, खसरा क्रमांक 287/2, रकबा 8.9952 हेक्टेयर तथा भविष्य में उपयोग की जाने वाली वनभूमि 6.0048 हेक्टेयर के विरुद्ध अन्य वन प्रस्ताव की गैर-वनभूमि 6.0048 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 15.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि, ग्राम दोंगालिया, तहसील खालवा, खसरा क्रमांक 287/2 रकबा 15.00 हेक्टेयर, वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल खंडवा को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपर्युक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खालवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरा-वार विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार – निरंक
2. सामुदायिक अधिकार – निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र.-PCCF-7-0487-2025-FLR-PCCF.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-PCCF-7-0487-2025-FLR-PCCF, दिनांक 8 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 8th September 2025

No./PCCF/7/0487/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Khandwa

Tahsil :- Khalwa

Forest Division :- Khandwa (T)

Forest Range :- Sarmeshwar

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (H.)	
1	Dongalia A	Dongalia	Grass	287/2	15.0	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 22 of Protected Forest Block Dongalia A. East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to Pillar No. 33 of Protected Forest Block Dongalia A. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 33 to Pillar No. 50 of Protected Forest Block Dongalia A. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 50 to 1 and Pillar No.1 to 14 of Protected Forest Block Dongalia A.
Total					15.0	

(A) Reason for publication of Notification :-**1. Details of other Reasons-**

With reference to The Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Khandwa of Madhya Pradesh Jal Nigam Limited Project Implementation Unit, Indore's Proposed rural group water supply scheme Proposal No. FP/MP/WATER/484062/2024 area 8.9952 hectare forest land in lieu of 8.9952 hectare revenue land Village Dongaliya Tehsil Khalwa Khasra No. 287/2 area 8.9952 hectare in exchange for 8.9952 hectare and forest land to be used in future 6.0048 hectare against other forest proposal non forest land 6.0048 hectare thus total 15.0 hectare located in village Dongalia Tehsil Khalwa has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 43-A-59/2024-25 Dated 26.07.2024 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khalwa are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Sec.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0473/2025-FLR-PCCF :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 14.03.1969 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 390-9971-दस-दिनांक 16.01.1969 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को रक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरक्षित वन घोषित करती है।

अनुसूची

जिला - सिवनी

वनमंडल - दक्षिण सिवनी सामान्य वनमंडल

तहसील - कुरई

वन परिक्षेत्र - खवासा

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का नंबर/वन परिसर	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वनखण्ड क्रमांक	यदि राजस्व भूमि हो तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन दिनांक	क्षेत्रफ ल (हे).	सीमाएं
1	उत्तरिया "ब"	52/खवासा	उत्तरिया "ब"	2/1 क 4/1 क 15/1 14/1 86 /पी-366	-	क्रमांक 9-X-58 दिनांक 10.07.1958 प्रकाश न दिनांक 01.08.1958	10.793 16.625 10.142 6.601 2.299	उत्तर-आरक्षित वनखण्ड खवासा के मुनारा क्रमांक 3 व 4 के बीच स्थापित मुनारा 3/13 एवं मुनारा क्रमांक 7 व 8 के बीच स्थापित मुनारा 7/1 तक की वन सीमा। पूर्व- मुनारा क्रमांक 7/1 से आरक्षित
								वनखण्ड उत्तरिया ब के मुनारा क्रमांक 7 तक की वन सीमा। दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड उत्तरिया ब के मुनारा क्रमांक 7 से 8 तक की वन सीमा। पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड उत्तरिया ब के मुनारा क्रमांक 8 से 9 एवं 9 से 12 होते हुये आरक्षित वनखण्ड खवासा के मुनारा क्रमांक 3 व 4 के बीच स्थापित मुनारा क्रमांक 3/13 तक की वन सीमा।
योग				कुल 5 खसरे			46.46	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2025

क्र.-PCCF-7-0089-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-PCCF-7-0089-2025-FLR-PCCF, दिनांक 4 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव।

Bhopal, the 4th September 2025

No./PCCF/7/0473/2025-FLR-PCCF :: Where as, by this department Notification No. 390-9971-X dated 16.01.1969 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 14.03.1969 the State Government had, Under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas, all claims related to the same have been disposed of by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

SCHEDULE

District:- Seoni Forest Division:- South Seoni (territorial)
Tahsil:- Kurai Forest Range Khawasa

N o.	RF Block	Patwar i Halka No./ fo rest Be at	Villa ge/ PF Bloc k	Khasra No./PF Compar tment	If Rev enue l and th en He ad of t he La nd	If Protected F orest then its Notification N umber and th e date with ga zette publicati on Date	Area (Ha.)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Utariya B"	52/Khawasa	Utariya	2/1 K 4/1 K 15/1 14/1 86 /P-366	-	No.9-X-58 dated 10-07 -1958 publis hed dated 0 1.08.1958	10.793 16.625 10.142 6.601 2.299	North -Forest Boundary from Pillar No. 3/13, established between pillar 3 and 4 of Reserve Forest Block Khawasa to pillar 7/1, established between pillar 7 and 8 of Reserve Forest Block Khawasa. East - Forest Boundary from Pillar No. 7/1 to Pillar No. 7 of Reserved Forest Block Utariya B. South- Forest Boundary from Pillar 7 to 8 Reserve Forest Block Utariya B. West - Forest Boundary from Pillar No. 8 to 9 and 10 to 12 of Reserved Forest Block Utariya B and munara 3/13, established between pillar 3 and 4 of Reserve Forest Block Khawasa.
Total				Total 05 Khasare n			46.46	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Sec.